भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2933
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी

2933. श्री राम शिरोमणि वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, भूमिहीन श्रमिकों और महिलाओं के लिए आजीविका के स्त्रोत के रूप में कार्य करती है, के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400/- रुपये प्रतिदिन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का मनरेगा के अंतर्गत रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 365 दिन करने का विचार है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए ग्राम पंचायतों को समय पर निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी नरेगा की धारा 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के लिए अकुशल कार्य हेतु मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) श्रमिकों को मुद्रास्फीति की क्षतिपूर्ति हेतु

ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दरों में संशोधन करता है। संशोधित मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल से लागू होती है। वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2024-25 तक अधिसूचित मजदूरी दर में औसत वृद्धि 7% है। इसके अलावा , राज्य अपने संसाधनों से भारत सरकार की अधिसूचित मजदूरी दर के अतिरिक्त श्रमिकों को अतिरिक्त मजदूरी भी प्रदान कर सकते हैं।

(ख): जहाँ तक रोजगार के गारंटीकृत श्रम दिवसों में वृद्धि का सवाल है , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है , के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार अनिवार्य करता है। इसके अलावा, सूखा/प्राकृतिक आपदाग्रस्त-अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 50 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार का प्रावधान है।

वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार को 50 दिनों का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों से अधिक) प्रदान करने का भी प्रावधान है , बशर्ते कि इन परिवारों के पास एफआरए अधिनियम, 2006 के तहत प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम , 2005 की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपनी निधि से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक रोजगार हेतु अतिरिक्त श्रम दिवस प्रदान करने का प्रावधान कर सकती हैं।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जमीनी स्तर पर काम की मांग के अनुसार निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, बशर्ते कि निर्धारित दस्तावेज समय पर प्रस्तुत किए जाएं और ऐसी निधि जारी करने के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा किया जाए। मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण नियमों के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे मजदूरी का भुगतान जारी किया जाता है जबकि सामग्री और प्रशासनिक घटक राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी किया जाता है जो बाद में स्थापित नियमों के अनुसार इन निधियों को जिलों को जारी करते हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 07.03.2025 तक) के दौरान, योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मजदूरी , सामग्री और प्रशासनिक आकस्मिकताओं के लिए 83,260.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।